

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 41/2022 राजस्व वाद

1. रोशन कुमार पुत्र श्री श्रवण जागा जाति जागा आयु वयस्क निवासी- गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शांता देवी पत्नी श्री श्रवण जागा जाति जागा आयु वयस्क निवासी- गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. आशा पुत्री श्री श्रवण जागा जाति जागा आयु वयस्क निवासी- गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. कंचन पुत्री श्री श्रवण जागा जाति जागा आयु वयस्क निवासी- गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवण जागा जाति जागा आयु वयस्क निवासी- गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तंवर  
प्रार्थी/वादीगण

—अधिवक्ता

2. राजमल जीनगर व बन्दु सिंह

—अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक-27/09/2022

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा के खाता संख्या 149 में अंकित आराजी नंबर 172/4, 174/4, 178/1, 180/1, 183/1, 184, 186/3, 187/1, 188, 190/2 व 190/2 रकबा 0.8472 हैक्टर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती ~~प्लॉट~~ से मौके पर सैदव मेड़ पाली की घास काटने तथा खेत की हकाई, चराई आदि में विवादा ~~प्लॉट~~ से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01,

उपखंड अधिकारी पदेन

के अधिवक्ता बन्टु सिंह उपस्थित जवाब पेश नहीं किया जवाब बन्द किया गया वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

### आदेश

ग्राम गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा के खाता संख्या 149 में अंकित आराजी नंबर 172/4, 174/4, 178/1, 180/1, 183/1, 184, 186/3, 187/1, 188, 190/2 व 190/2 रकबा 0.8472 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है -

खाता संख्या- 149 का विभाजन निम्न प्रकार -

(1) खातेदार का नाम- रोशन कुमार पुत्र श्री श्रवण जागा सा० देह के नाम पर -।

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	186/3 मी	0.0758 हैक्टर
2.	187/1	0.0253 हैक्टर
3.	184	0.0253 हैक्टर
4.	183/1	0.0506 हैक्टर
योग	कुल किता 04	0.1770 हैक्टर

(2) खातेदारान- वादीगण- आशा पुत्री श्रवण 1/3, कंचन पुत्री श्रवण 1/3, शांता देवी पत्नी श्रवण 1/3 जागा सा. देह खातेदार

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	172/4	0.0632 हैक्टर
2.	174/4	0.0632 हैक्टर
3.	178/1	0.0506 हैक्टर
4.	180/1	0.0379 हैक्टर
5.	190/2	0.0379 हैक्टर
6.	192/2	0.2403 हैक्टर
योग	कुल किता 06	0.4931 हैक्टर

(3) खातेदार प्रतिवादी संख्या-01 नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवण जागा साकिन देह

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	188	0.1391 हैक्टर

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

2.	186 / 3	0.0380 हैक्टर
योग	कुल किता 02	0.1771 हैक्टर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुधीपाल सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर करेडा  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)